IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES / अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका–06 में प्रकाशित शर्त्तों के आलोक में प्रवेश–पत्र (Admit Card) एवं वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र के अतिरिक्त अभ्यर्थी अपने साथ सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड एवं सामान्य विज्ञान खंड के लिए एक–एक Text Book (NCERT/B.S.E.B./I.C.S.E. एवं अन्य बोर्ड) अर्थात कुल 03 पुस्तकें परीक्षा केन्द्र में ले जा सकते हैं। किसी विषय से संबंधित गाईड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोटस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित है।

   अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम एवं रौल नम्बर अवश्य अंकित करेंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान–प्रदान पूर्णतया वर्जित है। अभ्यर्थी के पुस्तक पर नाम एवं रौल नम्बर के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा पाये जाने की स्थिति में तथा/या Text Book के अतिरिक्त अन्य सामग्रियाँ ले जाते हैं, तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विधि सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।
2. **अभ्यर्थी अपना बैग या अन्य सामान के साथ परीक्षा परिसर में नहीं आएँगे। यदि वे सामान के साथ आते हैं, तो वे अपना सामान परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के बाहर ही रखने का इंतजाम अपने स्तर से करेंगे। सामान रखने की जिम्मेदारी केन्द्राधीक्षक की नहीं रहेगी।**
3. **सभी अभ्यर्थियों का त्रिस्तरीय Frisking किया जाएगा। प्रथम बार परीक्षा केन्द्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी, जिसकी विडियोग्राफी करवायी जायेगी। द्वितीय बार परीक्षा कक्ष/हॉल के द्वार पर वीक्षकों द्वारा की जायेगी। तृतीय बार परीक्षा कक्ष/हॉल के अन्दर अभ्यर्थियों के बैठने के पश्चात् वीक्षकों द्वारा पुनः की जायेगी।**

   महिला अभ्यर्थियों की Frisking महिला पर्यवेक्षिका द्वारा की जाएगी।

   वीक्षकों द्वारा Frisking करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद ही परीक्षा शुरू की जायेगी।
4. अभ्यर्थी उपलब्ध करायी गयी OMR उत्तर–पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और तत्पश्चात् ही इन्हें भरना शुरू करें।
5. प्रत्येक अभ्यर्थी को वितरित की गई परीक्षा पुस्तिका पर छपा नम्बर और संबंधित OMR उत्तर पत्रक में छपा नम्बर समान होना चाहिए। किसी प्रकार की विसंगति होने पर परीक्षा पुस्तिका एवं संबंधित OMR उत्तर पत्रक को अविलम्ब अपने वीक्षक से बदलवा लें। परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट के अन्दर ही परीक्षा पुस्तिका बदली जा सकती है।
6. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र में पेन/पेन्सिल ले जाना वर्जित है। परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पेन उपलब्ध कराया जायेगा।
7. व्हाईटनर/ब्लेड/कैलकुलेटर/स्लाइड रूल/लॉग टेबुल/ग्राफ पेपर/चार्ट्स या किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उपकरण यथा–मोबाईल फोन, ब्लू–टूथ, पेजर, वेयरेबल डिवाईस, स्मार्ट फोन, घड़ी आदि का उपयोग वर्जित है। उपरोक्त सामग्रियों का अपने पास रखा हुआ पाया जाना अनुचित तरीका माना जायेगा। कोई भी संचार उपकरण विशेष रूप से मोबाईल फोन लेकर परीक्षा–केन्द्र परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर इन उपकरणों के साथ प्रवेश हेतु न पहुँचें। यदि अभ्यर्थी इसका उल्लंघन करते पाये जाते हैं, तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा एवं उनके विरूद्ध विधि–सम्मत् कार्रवाई भी की जाएगी।
8. **अन्य निम्न परिस्थितियों में किसी भी अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगाः–**

   I. ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में अपना रौल नं0, सेंटर कोड या प्रश्न पुस्तिका का नम्बर सही ढ़ंग से नहीं लिखते हैं एवं नम्बर के गोलों को सही ढ़ंग से नहीं भरते हैं।

   II. ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर कोई पहचान चिन्ह लगाने पर।

   III. अपने आवंटित सीट को छोड़कर अन्यत्र बैठते हैं।

   IV. उपस्थिति पत्रक के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अंकित नहीं करते हैं।

   V. कदाचार या पररूपधारण करते या अनुचित तरीका अपनाते हुये पाये जाते हैं।
9. अभ्यर्थी उपस्थिति पत्रक एवं प्रवेश पत्र में हिन्दी तथा अंग्रेजी हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान पर परीक्षा के दौरान वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही, उपस्थिति पत्रक पर अपने बायें हाथ के अँगूठे का निशान लगायेंगे।
10. परीक्षा में बायोमेट्रिक/आईरिस (Iris) का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें आपका फोटो/अंगूठे का निशान लिया जाएगा एवं आईरिस कैप्चर किया जाएगा।
11. अभ्यर्थियों के लिए केन्द्राधीक्षक या वीक्षक के द्वारा दिये गये सभी निदेशों का पालन करना अनिवार्य है। **परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अभ्यर्थी उपलब्ध कराये गये प्रश्न पुस्तिका एवं ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को अवश्य ही वीक्षक को लौटा देंगे।** यदि उक्त दोनों को आपके द्वारा लौटाया नहीं गया, तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा एवं आपके विरूद्ध दण्डात्मक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
12. **कदाचार में लिप्त पाये जाने/परीक्षा कक्ष में Electronic सामग्री के साथ पाये जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी 05 वर्षों के लिए एवं परीक्षा से संबंधित भ्रामक/सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 03 वर्षों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा और इसकी सूचना अन्य आयोगों को भी दी जायेगी।**
13. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकतानुसार इसे प्रस्तुत कर सकें।